

क्रम  
एवं तिथि

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई  
कर्रवाई की संक्षिप्त  
टिप्पणी एवं तारिख

अभिलेख उपस्थापित किया गया। वाद का वैधिक अवधि समाप्त हो चुका है। उभय पक्षों में अभिरुची का अभाव है। शांति भंग होने की संभावना प्रतीत नहीं होता है। अतएव कार्रवाई समाप्त की जाती है।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,  
जगन्नाथपुर।